Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 41-2020] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 13 अक्तूबर, 2020
(21 अश्विन, 1942 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 49/ह०अ० 24/1973/धारा 257/2020, दिनांक 9 अक्तूबर, 2020 –हरियाणा नगरपालिका सम्पत्तियां तथा राज्य सम्पत्तियों प्रबन्धन (संशोधन) नियम, 2020 बारे।	183—188
	2. अधिसूचना संख्या का०आ० 50/का०अ० 2/1974/धारा 2/2020, दिनांक 9 अक्तूबर, 2020 –दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2), की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा हरियाणा गृह विभाग की पूर्व अधिसूचनाओं में क्रमांक 1 तथा 3 के समक्ष संशोधन बारे।	189—190
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग-III

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 अक्तूबर, 2020

संख्या का०आ० 49/ह०अ० 24/1973/धा० 257/2020.– हरियाणा नगर पालिका सम्पत्तियां तथा राज्य सम्पत्तियां प्रबधन नियम, 2007 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), की धारा 257 की उपधारा (1) के खण्ड (ढ़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते है, उक्त अधिनियम की धारा 257 की उपधारा (5) द्वारा अपेक्षित, इसके द्वारा, ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात, सरकार, नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों और सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ द्वारा, किसी व्यक्ति से नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार यथा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा नगरपालिका सम्पत्तियां तथा राज्य सम्पत्तियां प्रबन्धन (संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नगरपालिका सम्पत्तियां तथा राज्य सम्पत्तियां प्रबन्धन नियम, 2007 में, नियम 4 के बाद, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:–

"**4 क** (1) पूजा स्थल (मन्दिर, गुरूद्वारा, मस्जिद, चर्च इत्यादि) के लिए तथा सामुदायिक धर्मशालाओं/जंजघर/बारातघर/सामुदायिक केन्द्रों इत्यादि के प्रयोजन के लिए नगरपालिका भूमि के विक्रय की दशा में विक्रय कीमत/प्रीमियम 2000 वर्ग मीटर तक की भूमि के लिए कलक्टर दर का पचास प्रतिशत तथा 2001 वर्ग मीटर से 3000 वर्ग मीटर तक कलक्टर दर का सौ प्रतिशत तथा नन्दीशालाओं, गऊशालाओं/आवारा पशु प्रबन्धन केन्द्रों के लिए 5 एकड़ तक कलक्टर दर का पचास प्रतिशत होगा। क्षेत्र के विकास की आनुपातिक लागत तथा उसके अन्य आनुषंगिक प्रभार भी प्रभारित किए जाएंगे। धार्मिक/सामुदायिक स्थलों इत्यादि के लिए विक्रय की दर।

(2) सम्बन्धित नगरपालिका केवल उन जगहों पर भूमि के आबंटन पर विचार करेगी जहां जमीन उपलब्ध है तथा प्रथमतः राज्य सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात प्रयोजन के लिए दी जा सकती है। यह किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार से कुछ भी अधिकार के मामले के रूप में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि के आबंटन की मांग हेतु हकदार नहीं बनाएगा।

(3) सम्बन्धित नगरपालिका की अधिकतम 3000 वर्ग मीटर के आकार की भूमि पूजा स्थल, सामुदायिक धर्मशालाओं/जंजघर/बारात घर इत्यादि के लिए आबंटित की जा सकती है तथा 5 एकड़ तक की भूमि नन्दीशालाओं/गऊशालाओं/आवारा पशु प्रबन्धन केन्द्रों के लिए आबंटित की जा सकती है। इसमें कोई भी बदलाव अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) पूजास्थल के लिए भूमि का आबंटन अल्पसंख्यक समुदाय का सम्यक ध्यान रखते हुए राज्य/जिला/शहर के स्तर पर विभिन्न संप्रदायों/धर्मों की व्यापक संरचना के दृष्टिगत किया जाएगा। सम्बन्धित नगरपालिका के क्षेत्र में दो से अधिक नन्दीशालाओं/गऊशालाओं/आवारा पशु प्रबन्धन केन्द्रों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सामाजिक/धार्मिक/धर्मार्थ गतिविधियों के लिए स्थलों की बिक्री हेतु प्रक्रिया या पूजा स्थलों/धर्मशालाओं/सामुदायिक केन्द्रों इत्यादि के निर्माण के लिए प्रयोजन।

4 ख (1) पूजा स्थल/सामुदायिक धर्मशालाओं/जंजघर/बारातघर/सामुदायिक केन्द्रों/ नन्दीशालाओं/गऊशालाओं/आवारा पशु प्रबन्धन केन्द्रों इत्यादि के निर्माण के लिए सामाजिक/धार्मिक/धर्मार्थ ट्रस्ट/संस्था हेतु नगर पालिका भूमि की इच्छूक निजी संस्थाएं/इकाईयां भूमि की मलकीयत रखने वाली नगरपालिका के आनलाईन पोर्टल पर अपनी मांग रखेंगी। आवेदक खसरा संख्या, क्षेत्र, भूमि/मिट्टी की किस्म, अक्ससिजरा फिल्ड बुक तथा नवीनतम जमाबन्दी इत्यादि के ब्यौरों सहित नवीनतम सम्बन्धित भूमि के अभिलेख संलग्न करेगा। इसके अतिरिक्त आवेदक सम्बन्धित उपायुक्त को सम्बन्धित अभिलेखों/दस्तोवजों सहित आवेदन की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करेगा, जो इसके बाद इस सम्बन्ध में सम्बन्धित नगरपालिका के वेब पोर्टल पर नोटिस के माध्यम से अन्य आवेदको से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(2) आवेदक एजेंसी हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का 1) के अधीन पंजीकृत कोई सोसायटी, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के अधीन पंजीकृत कोई न्यास या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन ऐसे रूप में पंजीकृत कोई नॉट–फॉर–प्रॉफिट कंपनी।

(3) उपायुक्त परियोजना के संचालन के सम्बन्ध में आवेदकों के विधिवत् सत्यापित प्रत्यय–पत्र लेगा और आवेदकों की क्षमता बारे स्वयं की संतुष्टि करेगा तथा इस सम्बन्ध में स्पष्ट कारणों के साथ विशिष्ट सिफारिशें, मण्डल आयुक्त और प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को करेगा।

(4) उपायुक्त भूमि की उपलब्धता का निर्धारण करेगा और प्रमाणित करेगा कि विषयाधीन भूमि सरकारी कार्यालय या उसकी किसी भी एजेंसी या किसी अन्य राज्य सरकार स्कीम के लिए अपेक्षित नहीं है और किसी भी ऋणभार के बिना आबंटन के लिए उपलब्ध है। उपायुक्त इस प्रक्रिया में कार्यकारी अधिकारी को शामिल करेगा।

(5) उपायुक्त, प्रस्तावित स्थल का नक्शा, इसमें इसकी अवस्थिति का नक्शा, स्थल के आयाम दर्शाते हुए तैयार करवाएगा। सम्बन्धित नगरपालिका इसे उपायुक्त को आवेदक एजेन्सी के पक्ष में ऐसी नरगपालिका के संकलप सहित प्रस्तुत करेगी।

(6) उपायुक्त, इसके बाद आवेदन को मामले में निर्णय लेने के लिए सिफारिशों सहित मण्डल आयुक्त के माध्यम से प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजेगा।

(7) मण्डल आयुक्त सम्बन्धित भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में उपायुक्त, पशुपालन तथा डेरिंग विभाग, सम्बन्धित नगरपालिका, अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण (भवन तथा सड़के) विभाग और जिला राजस्व अधिकारी के प्रतिनिधि से मिलकर बनने वाली समिति के माध्यम से मामले की जांच करेगा तथा प्रमाणित करेगा कि विषयाधीन भूमि किसी सरकारी कार्यालय या उसकी किसी एजेन्सी या किसी अन्य राज्य सरकार स्कीम के लिए अपेक्षित नहीं है और किसी भी ऋणभार के बिना आबंटन के लिए उपलब्ध है।

(8) सम्बन्धित मण्डल आयुक्त इसके बाद आवेदन मामले में निर्णय लेने के लिए सिफारिशों सहित प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को अग्रेषित करेगा।

(9) प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग प्रस्ताव को क्रम से शहरी स्थानीय निकाय विभाग के कार्यभारी मंत्री, मुख्यमंत्री तथा मंत्रीपरिषद् का आदेश/अनुमोदन प्राप्त करेगा।

आपातिक सामाजिक जिम्मेवारी के मामले में विशेष उपबन्ध

4 ग आपातिक सामाजिक जिम्मेवारी या आवश्यकता, जो नियम 4 ख के उपबन्धों के अधीन शामिल नहीं है, के मामले में उपायुक्त, मण्डल आयुक्त के माध्यम से प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को मंत्रीपरिषद् के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजेगा। उपायुक्त प्रस्ताव भेजते समय भूमि की उपलब्धता तथा आवेदक एजेंसी की मांग की वास्तविकता का निर्धारण करेगा।

धार्मिक/सामाजिक/धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए भूमि आबंटन हेतु अतिरिक्त शर्तें।

4 घ नियम 4ख और 4ग के अधीन भूमि का आबंटिती निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा :–

(i) स्थल का उपयोग केवल प्रयोजन जिसके लिए इसे आबंटित किया गया है हेतु उपयोग किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी उल्लंघन आबंटिती एजेन्सी को किसी भी मुआवजे के भुगतान के बिना राज्य सरकार द्वारा स्थल को फिर से शुरू किया जा सकेगा। आबंटिती एजेन्सी हर समय सुविधा और आस–पास के क्षेत्र को अच्छी और साफ स्थिति में सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखेगी।

(ii) आबंटिती एजेन्सी से साईट के कब्जे की पेशकश की तिथि से तीन वर्ष की अवधि जिसे दो वर्ष की अनधिक अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है के भीतर सुविधा को चालू करने की अपेक्षा की जाएगी। विस्तार तब अनुदेय होगा जहां केवल सुविधा का निर्माण तीन वर्ष अर्थात् कम से कम 40 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका हो, के पूरा होने के समय पर्याप्त प्रगति के अधीन है।

(iii) आबंटिती एजेन्सी किसी भी रीति में किसी तृतीय पक्षकार के पक्ष में स्थल का हस्तान्तरण नहीं करेगी और इस प्रयोजन के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा भवन संहिता, 2017 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से भवन योजनाओं को अनुमोदित करवाने के बाद आबंटित भूमि पर भवनों का निर्माण किया जाएगा।

(v) भूखण्ड पर निर्माण स्थल क्षेत्र के जोनिंग प्लान द्वारा शासित किया जाएगा जिनमें समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा भवन संहिता, 2017 के अधीन यथाविहित भूखण्ड का उपयोग या कोई अन्य निबंधन और शर्तों के विनिर्दिष्ट करने के अतिरिक्त, भवन क्षेत्र, अधिकतम भू–स्थल अच्छादन, अधिकतम ऊंचाई, फर्श क्षेत्र अनुपात, पार्किंग क्षेत्र, सीमा दीवार का प्रकार और गेट आदि इत्यादि के प्रावधान किए जाएंगे।

(vi) किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या पंथ के आधार पर आबंटित स्थल पर सुविधा के उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा''।

एस० एन० राय,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 9th October, 2020

No. S.O. 49/H.A. 24/1973/S.257/2020.— The following draft of rules further to amend the Haryana Management of Municipal Properties and State Properties Rules, 2007, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (n) of sub-section (1) of section 257 of the Haryana Municipal Act, 1973, (24 of 1973), is hereby published as required under sub-section (5) of section 257 of the said Act, for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department, Chandigarh from any person in respect of the draft of rules before the expiry of the period so specified.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Haryana Management of Municipal Properties and State Properties (Amendment) Rules, 2020.

2. In the Haryana Management of Municipal Properties and State Properties Rules, 2007, after rule 4, the following rules shall be inserted namely:-

Rate of sale for religious/ community sites etc.

4A (1) In the case of sale of Municipal land for the purpose of worship (Mandir, Gurudwara, Masjid, Church etc.) and for Community Dharamshalas/ Janjghar/ Baraatghar/community centres etc., the sale price/premium shall be 50% of the collector rate upto 2000 square meters and 100% of the Collector rate for 2001 to 3000 square meter and Nandishalas/Gaushalas/stray cattle management centres upto 5 acres, 50% of the collector rate. The proportionate cost of development of the area and other incidental charges thereto shall also be charged.

(2) The concerned Municipality shall consider allotment of land only at places where the land is available and may be spared for the purpose, after meeting the State Government needs first. It shall not entitle anyperson to demand allotment of land for the said purpose as a matter of right in any manner whatsoever.

(3) The land of concerned Municipality upto a maximum size of 3000 square meters may be allotted for a place of Worship, community Dharamashala/ Janjghar/ Baraatghar etc. and the land upto 5 acres may be allotted for Nandishala/ Gaushalas/stray cattle management centres. No deviation shall be allowed.

(4) The allotment of land for a place of worship shall be made taking in view the broad composition of different sects/religions at the State/District/Town level with due regard to minority community. Not more than two Nandishalas/ Gaushalas/Stray Cattle Management Centres shall be allowed in the area of concerned Municipality.

Procedure for sale of site for Social/Religious/ Charitable activities or purpose for the construction of Worship places/ Dharmshalas/ community centres etc.

4B (1) The private institutions/entities desirous of getting municipal land for Social/ Religious/Charitable Trusts/Institution for construction of places of Worship/ Community Dharamshalas/Janjghar/Baraatghar/Community Centers/Nandishalas/ Gaushalas/Stray Cattle Management Centres etc., shall place their requisition on an online portal of the landowning municipality.

The applicant shall enclose latest relevant land records containing details of Khasra number, area, kind of land/soil, akshshijra, field book and latest jamabandi etc. The applicant in addition shall submit a hard copy of the application alongwith relevant records/documents to the concerned Deputy Commissioner who shall thereafter invite applications from other applicants in this regard through notice on the web portal of the municipality concerned.

(2) The applicant agency shall be registered Society under the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012, (1 of 2012) or a Trust registered under the Indian Trust Act, 1882 (Central Act 2 of 1882) or a Not-for-Profit company registered under the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013).

(3) The Deputy Commissioner shall get the credentials of the applicant duly verified and satisfy himself about the capability of the applicants with regard to running of the project and make specific recommendations in this regard to the Divisional Commissioner and the Administrative Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department with cogent reasons.

(4) The Deputy Commissioner shall assess the availability of land and certify that the subject land is not required for any Government Office or any of its agencies or any other State Government scheme and is available for allotment without any encumbrance. The Deputy Commissioner shall associate the Executive Officer in this process.

(5) The Deputy Commissioner shall get a site map prepared, showing therein its location map, the dimensions of the site, area and approach to the proposed site. The concerned municipality shall submit the same to the Deputy Commissioner alongwith the resolution of such municipality in favor of the applicant agency.

(6) The Deputy Commissioner shall thereafter forward the application to the Administrative Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies, Department through Divisional Commissioner alongwith the recommendations for taking the decision in the matter.

(7) The Divisional Commissioner shall examine the case through a committee comprising of Deputy Commissioner, a representative of Animal Husbandry and Dairying Department, concerned municipality, Superintending Engineer, Public Works Department (Building & Roads) and District Revenue Officer regarding availability of land and certify that the subject land is not required for any Government office or any of its agency or any other State Government scheme and is available for allotment without any encumbrance.

(8) The Divisional Commissioner shall thereafter forward the application to the Administrative Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department, alongwith the recommendations for taking decision in the matter.

(9) The Administrative Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department shall, in turn, obtain the orders/approval of the Minister-in-Charge of Urban Local Bodies Department, Chief Minister and Council of Ministers.

4C In case of emergent social responsibility or need which is not covered under the provisions of rule 4B, the Deputy Commissioner shall forward a proposal through Divisional Commissioner to the Administrative Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department for approval of the Council of Ministers. The Deputy Commissioner while sending the proposal shall, assess the availability of land and genuineness of demand of the applicant agency. Special provision in case of emergent social responsibility

4D The allottee of land under rule 4B and 4C shall abide by the following conditions namely :- Additional Condition for allotment of land for Religious/ Social/Charitable purposes

(i) The site shall be used only for the purpose for which it is allotted and any violation on this account shall, entail resumption of the site by the State Government without payment of any compensation to the allottee agency. The allottee agency shall at all times maintain the facility and the surrounding area in good and clean conditions and fit for public use.

(ii) The allottee agency shall be required to make the facility operational within a period of three years from the date of offer of possession of the site, which may be extended further for a period not exceeding two years. The extension shall be permissible only where construction of the facility is under substantial progress at the time of completion of three years i.e., atleast 40% construction has been completed.

(iii) The allottee agency shall not transfer the site in favour of any third party in any manner and no permission shall be granted for this purpose.

(iv) The buildings on the allotted land shall be constructed after getting the building plans approved from the competent authority in accordance with the Haryana Building code, 2017 as amended from time to time.

(v) The construction on the plot shall be governed by zoning plan of the site area which shall provide for the building zone, maximum ground coverage, maximum height, FAR, parking area, type of boundary wall and gate etc., besides specifying the use of plot or any other terms and conditions as prescribed under the Haryana Building Code, 2017 as amended from time to time.

(vi) No person shall be denied the use of the facility on the allotted site on the grounds of religion, caste or creed".

S. N. ROY,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Urban Local Bodies Department.

8919—C.S.—H.G.P., Pkl.